भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 31
सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

नई रोजगार गारंटी योजना

31. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 18 से 35 वर्ष की आयु के 30 करोड़ से अधिक युवा अभी भी बेरोजगार अथवा अर्ध-नियोजित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने देश में बेरोजगारी और नौकरियां छूट जाने की समस्या का समाधान करने के लिए कोई व्यापक रोजगार सृजन कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विशेषकर चमड़ा और वस्त्र क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए कोई नई रोजगार गारंटी योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सकारात्मक कार्रवाई की गई है/की जाएगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न आयु समूहों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर निम्नानुसार हैः

वर्ष	बेरोजगारी की दर (%)		
	15-29 वर्ष	15-59 वर्ष	15 वर्ष उससे ऊपर
2017-18	17.8	6.5	6.0
2018-19	17.3	6.2	5.8
2019-20	15.0	5.2	4.8
2020-21	12.9	4.6	4.2
2021-22	12.4	4.4	4.1
2022-23	10.0	3.4	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकड़ें दर्शाते हैं कि देश में सभी आयु समूहों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के विवरण को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार ने पूंजीगत व्यय परिव्यय को भी 2023-24 में 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ कर दिया है, जिसका आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर कई गुणा प्रभाव पड़ेगा।

*****